HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 452/2019

Indra Devi

----Appellant

Versus

Shri Ram General Insurance Co. Ltd.

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. RC Joshi
For Respondent(s) : Mr. Vishal Singhal

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

<u>Order</u>

<u>23/07/2025</u>

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी के निवेदन पर प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 पर नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है।

अधिवक्ता श्री विशाल सिंघल को प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थिति देने का निर्देश दिया जाता है। श्री सिंघल प्रत्यर्थी संख्या 1 बीमा कम्पनी की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं अतः तामील पूर्ण है।

प्रार्थना पत्र आई ए संख्या 1/19 अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम पर सुना गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों को देखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अपील पेश करने में हुई 62 दिन की देरी माफ की जाती है।

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी मीमो ऑफ अपील एवं निर्णय की प्रति बीमा कंपनी के अधिवक्ता श्री सिंघल को उपलब्ध करवाये।

पक्षकारान के योग्य अधिवक्तागण का संयुक्त निवेदन है कि पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामे की सम्भावना है अतः प्रकरण को मध्यस्थता केन्द्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित किया जावे।

निवेदन अनुसार पत्रावली मध्यस्थता केन्द्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित की जावे।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 05.08.2025 को मध्यस्थता केन्द्र राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के समक्ष उपस्थित रहे।

मध्यस्थता केन्द्र की रिपोर्ट के साथ पत्रावली नियमानुसार न्यायालय में सूचीबद्ध की जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

58-SN LOHRA/-